



**Ministry of Youth Affairs & Sports  
Department of Sports  
(National Sports Development Fund)**


The National Sports Development Fund (NSDF) in the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India proposes to support maximum 5 organizations for projects pertaining to channelizing energy of children in the age group of 5 to 16 years and youth, through sports. The proposal envisages assistance upto Rs 25.00 lakhs per organization for a specific project to be completed in 2 years time.

The EOI dated 27.3.15 was uploaded on the Ministry's website [www.yas.nic.in](http://www.yas.nic.in). Based on pre bid conference, clarifications to EOI have also been uploaded on the said website wherein certain changes have been made in the EOI including in eligibility conditions. Interested parties which fulfil the eligibility conditions may submit applications in the prescribed format along with supporting documents to Project Officer (NSDF) by **14.00 hrs of 29.06.2015** at Cafeteria Building, Pragati Vihar Hostel, Lodhi Road, New Delhi – 110003.

3. Bids received prior to issue of clarifications would not be considered and are being returned unopened. Such bidders, if eligible and interested, are required to bid afresh as per the revised norms / criteria.

\*\*\*\*\*

Project Officer (NSDF)



युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  
खेल विभाग  
(राष्ट्रीय खेल विकास निधि)

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार खेलों के माध्यम से 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने वाली परियोजनाओं से जुड़े अधिकतम 5 संगठनों को सहायता देने का प्रस्ताव करती है। इस प्रस्ताव में 2 वर्ष की अवधि में पूरी होने वाली परियोजना विशेष के लिए प्रति संगठन 25.00 लाख रु0 तक की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

2. मंत्रालय की वेबसाइट [www.yas.nic.in](http://www.yas.nic.in) पर दिनांक 27.03.2015 को ईओआई अपलोड की गई थी। बोली से पहले किए गए विचार विमर्श के आधार पर उक्त वेबसाइट पर ईओआई संबंधी स्पष्टीकरण भी अपलोड किया गया है जिसमें ईओआई में पात्रता शर्तों सहित कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इच्छुक पक्ष, जो पात्रता शर्तें पूरी करते हों, वे निर्धारित प्रपत्र में संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन परियोजना अधिकारी (एनएसडीएफ) को दिनांक 29-06-2015, 14.00 बजे तक, कैफेटेरिया बिल्डिंग, प्रगति विहार हॉस्टल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. स्पष्टीकरण जारी करने से पहले प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सीलबंद ही वापस किया जा रहा है। ऐसे बोलीदाता, यदि वे पात्र और इच्छुक हैं, तो वे संशोधित मानकों/मानदंडों के अनुसार पुनः बोली लगा सकते हैं।

\*\*\*\*\*

जाँच एम जे